


फाइल सं. ए.12018/23/2019-लेप
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू,
डार्क रूम सहायक समूह 'ग' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस
के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी.
14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और
अनुसंधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू में डार्क रूम सहायक समूह 'ग' के पद के
लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक
हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर
लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद
रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।



(बैद्यनाथ प्रसाद)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक 17/9/19

सा.का.नि..... राष्ट्रपति संवाधान के अनुच्छेद 309 के परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडू में डार्क रूम सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम 1989 के अधिक्रमण से पहले किए गए या लोप किए गए संवर्ग को छोड़कर, एतद्वारा केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडू डार्क रूम सहायक के पद पर भर्ती कि पदति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः:

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ- (1) इन नियमों को केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु तमिलनाडू में डार्क रूम सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारिख से प्रभावी होंगे।

2. पदों कि संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में ये स्तर या वेतनमान वहीं होंगे जो इन नियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती कि पदति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि- भर्ती कि पदति, आयु-सीमा, अर्हता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

4. अनर्हता-कोई व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है, या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जिवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्य आधार हैं, तो केंद्र सरकार इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने का अधिकार-जहां केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह आदेश द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती हैं, जिसके करणों को लिखित में अभिलेखित किया जाएगा।

6. बचत इन नियमों में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार व्यक्तियों कि कोई अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अपेक्षित अन्य रियायतें प्रभावित हो।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डार्क रूम सहायक	एक पद * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकती है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-3 (रु. (21700-69100) वेतन मेट्रिक्स में	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच। (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक ढील दी जा सकती है) नोट: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि अंतिम तिथि होगी, जिसके तहत रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा कि अवधि यदि कोई हो	भर्ती कि पदति भर्ती सीधे होगी या पोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिय आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पदतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों कि प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ 12 वीं कक्षा पास। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्थान से रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी / रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा। 3. कोर्स संबंधित राज्य चिकित्सा निदेशालय / तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 4. डार्क रूम असिस्टेंट के रूप में एक साल का अनुभव <p>नोट: 1. अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यता में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर छूट दी जा सकती है।</p>	लागू नहीं	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति के द्वारा जिसके नाकाम होने पर सीधे भर्ती के द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दिशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	--	---

जाएगा		
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति:- (क) किसी भी केंद्रीय सरकारी अस्पताल / संस्थान में नियमित आधार पर लेवल -3 (रु. 21700-69100) पे मैट्रिक्स में पद पर हों एवं स्तम्भ 7 में दी गई योग्यता 2 वर्ष का डार्क रूम असिस्टेंट के रूप में अनुभव के साथ रखते हों। (ख) किसी भी केंद्रीय सरकारी अस्पताल / संस्थान में नियमित आधार पर लेवल -2 (रु. 19900-63200) पे मैट्रिक्स में पद पर हों एवं स्तम्भ 7 में दी गई योग्यता 3 वर्ष के डार्क रूम असिस्टेंट के रूप में अनुभव के साथ रखते हों।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अतिरिक्त निदेशक, सीएलटीआरआई - अध्यक्ष (ii) उप निदेशक (ओर्थो)- सदस्य (iii) सहायक निदेशक (सर्जिकल)- सदस्य (iv) प्रशासनिक अधिकारी- सदस्य</p>	<p>लागू नहीं</p>